(1) (2)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ
भाग–द
(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र)

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा रफी अहमद किदवई नगर गोमती नगर लखनऊ वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड पर निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री ओ0 पी0 गुप्ता अवर अभियन्ता तथा श्री विजय कुमार सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक: 15.11.2011 को कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट सॅख्या: 20018 दिनॉक: 01.6.2005 शमन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध– मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा 6 माह के अन्दर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के सापेक्ष स्थल पर विकसित की गयी सम्पूर्ण कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर ....

आर0 एन0 सिंह

पदनाम: अधिशासी अभियन्ता जोन–3

अधिशासी अभियन्ता जोन–3
ल0 वि0 प्रा0, लखनऊ

कार्यालय की मुहर ....

दिनॉक 13/12/2011

53/AA Zone-2/11
13/12/2011

(2)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ
भाग–द
(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र)

सीतापुर रोड ग्राम पुरनिया लखनऊ वार्ड / योजना / मोहल्ला / सेक्टर में स्थित खसरा सॅख्या: 85 86 व 87 पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्ड0 लि0 द्वारा निर्मित पार्क व्यू ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय अवर अभियन्ता तथा श्री आर0 सी0 गुप्ता सहायक अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट सॅख्या: 28194 के अनुरूप सही पाया गया। अतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध–

1. अग्निशमन विभाग द्वारा सुझाये गये अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील रखना होगा और इसकी सुरक्षा सम्बन्धित जॉच समय–समय पर अग्निशमन विभाग से कराना होगा।

दिनॉक:

04/E.E.Zone-8
27-2-2012

हस्ताक्षर .... (प्रदीप कुमार) अधिशासी अभियन्ता

पदनाम अधिशासी अभियन्ता जोन–8

कार्यालय की मुहर ....

दिनॉक 27/02/2012

3 (10) 3

परिशिष्ट–6
((प्रपत्र–'ब') 'पृष्ठ 3/4)

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती M/s Eldico housing (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या Commercial खसरा संख्या Udyan-II Raksha Khand Rai Bareilly Road – – – – – पर स्थित भवन संख्या Commercial – – – का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है। (Permit No 26788 Dt-4.09.09)

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह कमांक–7 पर अंकित कर दिया गया है।
भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है । इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता . . . . . .
नाम/पता . . . .
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या . . . . . .
लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . . . .

(Stamp: Ar. SANJAY Kr. GUPTA, espaces, Reg. No. CA/89/12382)

दिनांक . . . .

16/EE/11
02/11/2011

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्रः

शारदा नगर योजनान्तर्गत उद्दयन–2 रक्षाखण्ड कालोनी में वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या–व्यवसायिक भूखण्ड पर भवन निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री डी0एस0 भदौरिया, सहायक अभियन्ता, श्री नरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन परमिट संख्या–26788 दिनांक 04.09.2009 के अनुसार कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रतिबन्धः–प्रथम तल का निर्माण करने के उपरान्त पुनः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर........02/11/2011........
पदनाम........(जय सिंह)........
कार्यालय की मुहर..अधिशासी अभियन्ता
दिनांक 02/11/2011
Executive Engineer
Lucknow Development Authority
LUCKNOW.

02/11/11
(नरेन्द्र कुमार)
अवर अभियन्ता
ल0वि0प्रा0

02/11/2011
(डी0एस0 भदौरिया)
सहायक अभियन्ता

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 101/EIE-Zone-1/12-13 दिनांक: 15/02/2013

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या टी.सी.–58/वी, टी.सी.–59/वी एवं टी.सी.–60/वी पर मेसर्स सूर्या सीजन फूडस प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ब्लाक–ए व्यवसायिक/कार्यालय भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री एस0पी0 श्रीवास्तव तथा सहायक अभियन्ता श्री संजय नादर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 31.12.12 को कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 11.02.2013 को स्वीकृत संशोधित मानचित्र परमिट संख्या 34374 के अनुरूप सही पाया गया हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति दिनॉक 11.02.2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निर्मित कार्यालय भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रतिबन्ध :–

1. अग्नि शमन विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्ध "प्रणाली कार्यशील दशा में रखे जाने तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराये जाने का पालन करना होगा।
2. भूखण्ड संख्या टी.सी.–58/वी, टी.सी.–59/वी एवं टी.सी.–60/वी पर निर्मित ब्लाक–बी का पूर्णता प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त कराना होगा।

दिनॉक : 15.2.2013

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....15/2/13....

कार्यालय मुहर ....(डी० सी० श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता जोन–1

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 03/E.E-zone/13 दिनांक: 06.06.2013

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या टी.सी.–58/वी एवं टी.सी.–59/वी पर मेसर्स सूर्या सीजन फूडस प्रा0लि0 व हलवासिया एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ब्लाक–बी व्यवसायिक/कार्यालय भवन(कार्पोरेट चैम्बर–II) के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री एस0पी0 श्रीवास्तव तथा सहायक अभियन्ता श्री संजय नादर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 03.05.2013 को कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 30.07.2009 को स्वीकृत संशोधित मानचित्र परमिट संख्या 26531 के अनुरूप सही पाया गया हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति दिनॉक 23.05.2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निर्मित कार्यालय भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रतिबन्ध :–

1. अग्नि शमन विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्ध का यथावत् पालन करना होगा।

दिनाँक :

हस्ताक्षर 06.06.13

पदनाम ...... (डी० सी० यादव)

कार्यालय मुहर अ० अभि० जोन-।

6 (9) (15)

परिशिष्ट–6

((प्रपत्र–'ब') 'पृष्ठ 3/4)

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती M/s Eldico housing (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या Commercial खसरा संख्या Udyan-II Raksha Khand Rai Barely Road पर स्थित भवन संख्या Commercial – – – का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् है :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है। (Permit No. 26787 Dt- 04.09.2009)

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह कमांक–7 पर अंकित कर दिया गया है।
भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च्य श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता . . . .
नाम/पता . . . .
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर की
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या . . . .
लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . .

ANJAY Kr. GUPTA espaces Regd. No. CA/89/

18/दिस/2011 02/11/2011 दिनांक . . . .

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्रः

शारदा नगर योजनान्तर्गत उददयन–2 रक्षाखण्ड कालोनी में वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या–व्यवसायिक भूखण्ड पर भवन निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री डी0एस0 भदौरिया, सहायक अभियन्ता, श्री नरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन परमिट संख्या–26787 दिनांक 04.09.2009 के अनुसार कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरंण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रतिबन्धः–प्रथम तल का निर्माण करने के उपरान्त पुनः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर.................................. 02/11/2011
पदनाम.................................. (जय सिंह)
कार्यालय की मुहर.................. अधिशासी अभियन्ता Executive Engineer
दिनांक 02/11/2011 Lucknow Development Authority LUCKNOW.

02/11/11 JE (नरेन्द्र कुमार) अवर अभियन्ता ल0वि0प्रा0

02/11/2011 (डी0एस0 भदौरिया) सहायक अभियन्ता

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

टी0जी0 नार्थ न्यू सिविल लाइन्स, पुराना हैदराबाद, वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या: 415 पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एवं इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा निर्मित समूह आवासीय भवन के सम्बंध में दिये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री संजीव कुमार अवर अभियंता, एवं श्री अनूप बहादुर श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.07.2006 को स्वीकृत मानचित्र के कतिपय विपरीत होने के कारण निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण के शमन हेतु प्रस्तुत शमन मानचित्र दिनांक 27.05.2013 को स्वीकृत है। वर्तमान में निर्माण स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुरूप है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रतिबंध :–

1. अग्नि शमन विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रतिबंध "प्रणाली कार्यशील दशा में रखे जाने तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराये जाने का पालन करना होगा
2. रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली एवं लिफ्ट को सदैव क्रियाशील रखना होगा।
3. जल–आपूर्ति, मलोत्सारण, जल निकास तथा विद्युत आपूर्ति को क्रियाशील रखना होगा।
4. उ0प्र0 अपार्टमेण्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) नियमावली–2011 के अनुसार आवश्यक घोषणा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

हस्ताक्षर 27/5

पदनाम ....ओ० पी० मिश्रा

अधि० अभि० जोन ....2....

कार्यालय की मुहर विकास प्राधिकरण

दिनांक 27.5.2013

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

04/EB-20u--/13 Dated 06/07/2013

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ योजना में स्थित भूखण्ड संख्या टी.सी.जी.–10/10 व 11/11 पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित समूह आवास भवन(एल्डिकों ऐलीगेन्स) ब्लाक–ए1 व ए2, ब्लाक–बी1 व बी2 तथा ब्लाक ए3 व बी3 के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री एस0पी0 श्रीवास्तव तथा श्री पंकज पाण्डेय, सहायक अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 16.05.2013 को कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 15.07.2011 को स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या 32756 के अनुरूप सही पाया गया हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति दिनॉक 29.06.2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निर्मित समूह आवास भवन(एल्डिकों ऐलीगेन्स) ब्लाक–ए1 व ए2, ब्लाक–बी1 व बी2 तथा ब्लाक ए3 व बी3 का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रतिबन्ध :–

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों का सदा पालन तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण'' कराया जाना होगा।
2. उपरोक्त आवासीय भवनों पर अपार्टमेन्ट एक्ट लागू कराते हुए एक्ट में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
3. निर्मित भवनों का रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन/नगर निगम को हस्तान्तरित करने तथा इसका रख–रखाव आदि एवं पक्ष/निवासियों की शिकायत या त्रुटियों पर विकासकर्ता या रेजीडेन्टकर्ता द्वारा स्वतः निस्तारण करना होगा, जिसमे विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
4. भविष्य में स्वीकृत शमन मानचित्र से भिन्न व अतिरिक्त निर्माण/प्रयोग किये जाने पर पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. भविष्य में विक्रय विलेश की शर्तो, मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी किसी भी प्रकार की देयता आने पर पक्ष द्वारा देय होगा।

दिनॉक : 6-7-2013

हस्ताक्षर 06.07.13

पदनाम ....(डी० सी० यादव)

कार्यालय मुहर अ०अभि० अभि० जोन-(1)
ल० वि० प्राधिकरण

(9)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ

भाग—स

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र)

संख्याः 96 /अ0अ0जोन—11/2015—16

मेसर्स एल्डिकों हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा खसरा संख्या— 13, 14, 216, 217, 218 एवं 291 ग्राम आदिलनगर, आकिलापुर, कुर्सी रोड, लखनऊ पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के सम्बन्ध में दिये गये मानचित्र का परीक्षण श्री आलोक रंजन, सहायक अभियन्ता, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री पी0एन0 पाण्डेय, अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं उनके द्वारा निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र, परमिट संख्या—37589, दिनांक 07.11.2014 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम' 1973 की धारा—15 क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध—

1. समस्त अग्निशमन व्यवस्थायें व भवन में अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा के उपाय सदैव युक्ति—युक्त पूर्वक प्राप्त किये जाने हेतु प्रणाली को कार्यशील दशा में रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष अग्नि शमन विभाग से नवीनीकरण कराना होगा।
2. निर्माण/सामुदायिक सुविधाओं को नगर निगम/आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तानान्तरण आदि पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्मित भवन/अपार्टमेन्ट पर अपार्टमेन्ट एक्ट में उल्लेखित नियमों व प्रतिबन्धों का पालन होगा।
4. लिफ्ट/विद्युत विभाग की एन0ओ0सी0 के क्रम में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करते हुए लिफ्ट व पार्किंग को क्रियाशील रखना होगा तथा पार्क का विकास व रख—रखाव आदि पक्ष को सुनिश्चित करना होगा।
5. अपार्टमेन्ट में रहने वाले आवंटियों की यदि निर्माण/विकास/मेन्टीनेन्स/उपयोग आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका समाधान पक्ष को करना होगा तथा इसके लिये प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
6. शमन मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्ध पक्ष को मान्य होंगे।

हस्ताक्षर........10/2/15........

पदनामःअधिशासी अभियन्ता जोन—11

दिनांकः 10-02-2015

कार्यालय की मोहर......(दिनेश चन्द्र सचान) अधि0अभि0......

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक सं० 72/EE-8/TG

दि० 2-1-2017

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

गोमतीनगर योजना के विभूति खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या टी0सी0जी0–10/10 व 11/11 पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा निर्मित ब्लाक सी–क्लब भवन तथा ब्लाक डी–व्यवसायिक/कार्यालय भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब, परिशिष्ट–8 एवं परिशिष्ट–11 पर अधिकृत वास्तुविद् श्री संजय कुमार गुप्ता–स्पेसेज, रजिस्ट्रेशन नम्बर सी0ए0–89/12382 तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर श्री संजय विठालकर–स्पेस कम्बाइन द्वारा प्रमाणित सूचनाएं एवं अन्य, अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा(विद्युत एवं लिफ्ट) की गयी सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रमाणित सूचनाओं के साथ प्रमाण–पत्र का परीक्षण श्री एस0पी0श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता तथा श्री संजय नादर, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया हैं एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा जारी शमन मानचित्र परमिट संख्या 40923 दिनॉक 16.12.2016 को स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निम्न शर्तो के आधार पर उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनॉक 16.12.2016 के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रतिबन्ध :–

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन कों हस्तान्तरण करने तक भवन को सदा कार्यशील रखना संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव करने की विकासकर्ता/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति की जिम्मेदारी होगी।
2. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों को सदा पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्राप्त कर अग्निशमन उपकरण क्रियाशील रखना होगा।
3. पक्ष द्वारा अपार्टमेन्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आवंटी द्वारा यदि विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता या रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति का होगा। विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

दिनॉक :

हस्ताक्षर .... A. Singh 2/1/17.

पदनाम .... अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय मुहर .... प्रवर्तन

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 10-2/[illegible]-2011/12-13 दिनांक: 15/02/2013

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या टी.सी.जी.–13/वी–16 पर मेसर्स एम०के०सेल्स प्रा०लि० द्वारा निर्मित व्यवसायिक/कार्यालय भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री एस0पी0 श्रीवास्तव तथा सहायक अभियन्ता श्री संजय नादर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 24.01.2013 को कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 10.03.2010 को स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या 28460 के अनुरूप सही पाया गया हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति दिनॉक 08.02.13 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निर्मित व्यवसायिक/कार्यालय भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रतिबन्ध :–

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्ध को अग्निशमन व्यवस्थाएं व भवन में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय सदैव "युक्ति–युक्त पूर्वक प्राप्त किये जाने हेतु प्रणाली कार्य शीघ्र दशा में रखे जाने तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण" कराये जाने का पालन करना होगा।

दिनॉक : 15-02-2013

हस्ताक्षर ....

पदनाम ......15/2/13......

कार्यालय मुहर ....

(डी० सी० श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता जोन-1

12

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ

ल0वि0प्रा0-01/AAC(PJ)/Com./16
01.06.16

भाग—द
(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र)

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा शारदा नगर योजना लखनऊ वार्ड/योजना/मोहल्ला रक्षा खण्ड उद्यान—2 पर निर्मित व्यवसायिक काम्पलेक्स (एक्सप्रेस प्लाजा) भवन के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री आर0एन0 चौबे, श्री अम्बरीश कुमार शर्मा व श्री पदमाकर मिश्रा अवर अभियन्ता तथा श्री राकेश मोहन सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक: 16.03.2016 को कर लिया गया है एवं स्थल पर किये गये अतिरिक्त निर्माण के शमन की स्वीकृति तकनीकी समिति की बैठक दिनांक: 18.03.2016 को प्रदान कर दी गयी है। अत: उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा—15 क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध—

1. अग्निशमन विभाग द्वारा सुझाये गये अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील रखना होगा और इसकी सुरक्षा सम्बन्धित जॉच समय—समय पर अग्निशमन विभाग से कराना होगा।

हस्ताक्षर .... H. Singh 1/6/16

पदनाम: अधिशासी अभियन्ता प्रवर्तनसेल—सिस गो0

कार्यालय की मुहर .... अधिशासी अभियन्ता प्रवर्तन

दिनॉक .... लखनऊ विकास प्राधिकरण

original given to ...

14

परिशिष्ट संख्या—3
प्रपत्र—द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या—2.1.8)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

भाग—अ

1. (i) आवेदक का नाम — *एल्डिको सिटी प्राईवेट लि0*
   (ii) वर्तमान पता — *द्वितीय तल, कॉरपोरेट चैम्बर—I, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।*
2. खसरा/भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड — *इन्टीग्रेटेड टाउनशिप एल्डिको सिटी, आई. आई.एम. रोड, लखनऊ (सीतापुर—हरदोई वाईबास रोड)।*
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) — *538534.29 वर्ग मीटर (133.07 एकड़)*
4. अनुमन्य भू—उपयोग — *आवासीय टाउनशिप*
   (i) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि — *08/08/2014 (संशोधित)*
   (ii) परमिट संख्या — *36748 (संशोधित)*
   (iii) यदि अनाधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें। — *समस्त विकास कार्य विन्यास मानचित्र स्वीकृति के पश्चात् तथा उसके अनुरूप कराया गया है।*

5. भू—उपयोग का विवरण :

क्र.	भू—उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (वर्गमी0)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
i	आवासीय	258455.27	53.05%	258455.27	100%	—	—
ii	वाणिज्यिक	15221.22	3.12%	15221.22	100%	—	—
iii	अन्य	28272.40	5.81%	28272.40	100%	—	—
iv	पार्क एवं खुला स्थान	75583.22	15.52%	75583.22	100%	—	—
v	सड़कें तथा गलियां	109625.12	22.50%	109625.12	100%	—	—

ELDECO CITY

6. स्वीकृत 133.07 एकड़ में भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार सुविधाओं की स्थिति:–

क्र.	सुविधाएँ	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान		विचलन	
				संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0)		
1.	नर्सरी–2 + प्राइमरी–1 + हाईस्कूल–1 Plot No. SC-1	4	4261.00	4	4261.00	–	–
2.	नर्सरी स्कूल–2 + प्राइमारी स्कूल–1 + हाईस्कूल–1 + इण्टरकालेज–1 Plot No. SC-2	5	10148.51	5	10148.51	–	–
3.	नर्सरी–3 + प्राइमरी–2 Plot No. SC-3	5	3680.00	5	3680.00	–	–
4.	स्वास्थ्य सुविधाएँ	1	1122.35	1	1122.35	–	–
5.	कम्युनिटी सेन्टर	1	3408.33	1	3408.43	–	–
6.	पुलिस चौकी	1	559.00	1	559.00	–	–
7.	बैंक काउन्टर / एटीएम	1	102.00	1	102.00	–	–
8.	रेलवे आरक्षण	1	150.00	1	150.00	–	–
9.	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन	1	1995.00	1	1995	–	–
10.	एसटीपी / ओएचटी सुविधा	1	2672.20 (784.20 + 1221.00 + 667.00)	1	2672.20	–	–

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :

(i)	सड़कें	मानचित्र संलग्न है
(ii)	सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)	मानचित्र संलग्न है
(iii)	पुलिया (कल्वट)	मानचित्र संलग्न है
(iv)	मार्ग प्रकाश व्यवस्था	मानचित्र संलग्न है
(v)	पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।	मानचित्र संलग्न है
(vi)	ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।	मानचित्र संलग्न है
(vii)	सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति।	मानचित्र संलग्न है
(viii)	सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)।	मानचित्र संलग्न है
(ix)	बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।	मानचित्र संलग्न है
(x)	विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफामर्स तथा 11 के.वी.ए.	मानचित्र संलग्न है

(xi) सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाइन में जोड़ने का विवरण। — *मानचित्र सलग्न ह*

8. **शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :**

(i) सड़कें — *सीतापुर–हरदोई वाईपास रोड से संयोजित है।*

(ii) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था) — *टाउनशिप के अन्दर पेयजल व्यवस्था स्वयं विकसित व निर्मित है।*

(iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)। — *टाउनशिप के अन्तर्गत पृथक से विकसित की गयी है।*

(iv) विद्युत व्यवस्था (33 केवीए/11के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)। — *टाउनशिप के अन्तर्गत पृथक से विकसित की गयी है।*

(v) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति। — *टाउनशिप के अन्तर्गत पृथक से व्यवस्था की गयी है।*

9. **विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन :**

(i) उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है — *हां*

(ii) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है — *नहीं*

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। — *हां*
(यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. **विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :**

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू–उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार है। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले–आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

1. स्वीकृत तलपट मानचित्र।
2. अधिकृत प्रमाण पत्र।
3. सड़क, नाली, एसडब्लयू ड्रेन, पार्क आदि।
4. सर्विस ड्राइंग।

ELDECO

आवेदन हेतु अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

मैने मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 (आवेदक का नाम) की "एल्डिको सिटी" हसनगंज वार्ड स्थित आई0आई0एम0 रोड़ एल्डिको सिटी, लखनऊ योजना का निरीक्षण दिनांक 06.02.2017 को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जांच के उपरान्त सही पाई गई है। इस सन्दर्भ में मेरी जॉच आख्या निम्नवत है:—

विकसित योजना, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर : पंजीकृत वास्तुविद/नगर नियोजक
नाम/पता : संजय कुमार गुप्ता—आर्कीटेक्ट
लाइसेन्स संख्या: CA/89/12382
लाइसेन्स वैधता की अवधि — वर्ष 2020

Ar. Sanjay Kumar Gupta
Reg. No. CA/89/12382
108, Corporate Chamber-1
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010

दिनांक : 06.02.2017
संख्या-532/EE/HTIG/2017
भाग—स दिनांक-22/06/2017

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रार्थना पत्र के भाग—अ एवं ब की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

आई0आई0एम0 रोड (सीतापुर—हरदोई बाईपास रोड़) पर मेसर्स एल्डिकों सिटी की इंटीग्रेटेड टाउनशिप "एल्डिको सिटी" योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री पी0के0 शर्मा—सहायक अभियन्ता एवं श्री शशिभूषण मिश्रा—अवर अभियन्ता, द्वारा दिनांक 09.03.2017 तथा श्री एस0पी0 जायसवाल—अवर अभियन्ता व शशिभूषण मिश्रा—अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 22.05.2017 एवं श्री जे0एन0 रेड्डी—मुख्य नगर नियोजक द्वारा दिनांक 08.06.2017 को कर लिया गया है जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—15 के (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है:—

प्रतिबन्ध :—

1. योजना के अन्तर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख—रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशियेशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवन आवंटित है तथा निर्माणाधीन है, जिनको पूर्णरूप से विकसित कर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र अलग से प्राप्त किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित अन्य भवनों यथा—ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक तथा स्कूल आदि के भवनों के निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. विस्तारित टाउनशिप हेतु एवं पूर्व में अनुमोदित ले—आउट हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
4. योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्यूनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एस0टी0पी0, कूडा निस्तारण प्रबंधन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्णरूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
5. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त कियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से सम्बन्धित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

21/6/17

हस्ताक्षर आर० डी० वर्मा
अधिशासी अभियन्ता (हा०/टे०)

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - 9450/AA-3/4/17 दि- 17/7/17

(15)

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

ग्राम–मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित भूखण्ड/,खसरा संख्या 58, 59, 60, 61, 83, 84, व 85/2 पर मेसर्स एल्डिकों हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन ब्लाक ए(टी–2), ब्लाक–ए(टी–3), ब्लाक–बी(टी–1) एवं ब्लाक–सी(क्लब) भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब, परिशिष्ट–8 एवं परिशिष्ट–11 पर अधिकृत वास्तुविद् श्री संजय कुमार गुप्ता–स्पेसेज, रजिस्ट्रेशन नम्बर सी0ए0–89/12382 तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर श्री संजय विठालकर(एम.टेक)–स्पेश कम्बाईन द्वारा प्रमाणित सूचनाएं एवं अन्य अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा (विद्युत एवं लिफ्ट) की गयी सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रमाणित सूचनाओं के साथ प्रमाण–पत्र का परीक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा जारी शमन मानचित्र परमिट संख्या 40899 उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनॉक 06.07.2017 के अनुपालन में निम्न शर्तो के साथ पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैः–

प्रतिबन्ध :–

1. नगर निगम में हस्तान्तरण करने तक भवन को सदा कार्यशील रखना संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव करने की विकासकर्ता/रेसीडेन्ट एसोसिएशन समिति की जिम्मेदारी होगी।
2. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों को सदा पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्राप्त कर अग्निशमन उपकरण क्रियाशील रखना होगा।
3. पक्ष द्वारा अपार्टमेन्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आवंटी द्वारा यदि विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता या रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति का होगा।

हस्ताक्षर 14.7.17

पदनाम अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय मुहर (पी0के0 सिंह)

अधिशासी अभियन्ता जोन–4

original given to Mr L.K. Upadhyay ji

16 14

पत्रांक 891/का०/LDA/4726 (Bhawan)
दिनांक 26.12.84

To Whom It may ~~Couern~~ Concern

This is to Certify that Pragati Kendra Block NO _ 3 at Kapoor Thala Commercial Complex has been completed by Eldeco Constructions (Pvt. Ltd.) in accordance to controls and approved drawings of L. D. A.

Executive Engineer (Bhawan)